

**DIRECTORATE OF INSTRUCTIONS
NANAJI DESHMUKH VETERINARY SCIENCE UNIVERSITY
JABALPUR (M.P.)**

No. 417/DI/NDVSU/2019

Dated: 29/07/2019

NOTICE

Candidates who are seeking admission in seats reserved for Economically Weaker Section (EWS) category have to submit duly filled enclosed proforma at the time of counseling. Allotted additional seats for EWS category are:

For M.V.Sc. - 06
For Ph.D. - 01

In a particular department only one seat will be allotted under EWS category.

ms
29/7/19

Director Instructions
NDVSU, Jabalpur
Director Instruction
Nanaji Deshmukh Veterinary
Science University
Jabalpur-482001 (M.P.)

Endt. No. 418/DI/NDVSU/2019

Dated: 29/07/2019

Copy to:

1. The Dean Faculty, NDVSU, Jabalpur.
2. The Dean, College of Veterinary Science & A.H., Jabalpur/Mhow/Rewa for circulation of this notice, to all the departments of the college/notice board.
3. The Nodal Officer, University website, NDVSU, Jabalpur.

Director Instructions
NDVSU, Jabalpur

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप

(सामान्य प्रशासन विभाग का जापन क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 02 जुलाई 2019 का संलग्नक)

मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाल आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-.....

दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पति/पुत्री..... ग्राम/कस्बा.....

पोस्ट ऑफिस.....थाना.....

तहसील..... जिला..... राज्य.....

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 08 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो (जिसके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, पथरीली, धीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि इस भूमि में शामिल नहीं होगी) ।
- II. जिसके पास 1200 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो।
- III. जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो।
- IV. नगर परिषद् क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से ज्यादा का आवासीय मकान/फ्लैट हो।

2. श्री/ श्रीमती/कुमारी.....जाति..... के

सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का
अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर.....(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम

11 पदनाम

अनुविभागीय अधिकारी / तहसीलदार